भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2918
जिसका उत्तर बुधवार, 05 अगस्त, 2026 को दिया जाएगा

भोजन की बर्बादी

2918. श्री इटेला राजेंदर:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में प्रतिवर्ष लगभग 1.55 लाख करोड़ रुपये मूल्य के भोजन की बर्बादी होती है, जिसमें हर साल लगभग 78-80 मिलियन टन भोजन नष्ट हो जाता है;
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और अन्य देशों और हमारे राज्यों के आंकड़ों के साथ तुलनात्मक ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या यह भारी बर्बादी ऐसे समय में होती है जब देश में लगभग 194 मिलियन लोग कुपोषित हैं, जो खाद्य वितरण और संभारतंत्र में गंभीर विफलता को उजागर करता है;
(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या है;
(ङ) क्या यह संकट खराब कोल्ड चेन अवसंरचना, कमजोर आपूर्ति श्रृंखलाओं और उच्च उपभोक्ता बर्बादी के कारण उत्पन्न हुआ है;
(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं; और
(छ) इस संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार द्वारा कौन से सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्री बी. एल. वर्मा)

(क) से (च): भारत, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाय) के अंतर्गत विश्व में सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा व्यवस्था संचालित करता है, जो एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी) द्वारा सक्षम डिजिटलीकृत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के माध्यम से 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को पारदर्शी रूप से मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करती है। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा प्रबंधित केंद्रीय पूल में खाद्यान्न के नुकसान को वैज्ञानिक भंडारण और संरक्षण विधियों के माध्यम से न्यूनतम रखा जाता है। कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के लिए, एफसीआई ने अन्न दर्पण नामक एक एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला संचालन प्रबंधन प्रणाली शुरू की, जिसे एफसीआई के संपूर्ण संचालन में दक्षता, पारदर्शिता और वास्तविक समय की दृश्यता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है।

खाद्य आपूर्ति श्रृंखला के विभिन्न चरणों में कटाई के बाद के प्रबंधन, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण, खुदरा प्रथाओं और उपभोक्ता व्यवहार जैसे कई कारकों के कारण भोजन की हानि और बर्बादी होती है। अवसंरचना की कमियों को कम करने के लिए, सरकार ने भंडारण और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को उन्नत करने के लिए सक्रिय रूप से निम्नलिखित उपाय लागू किए हैं:

(क) कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ): फसल कटाई के बाद की प्रबंधन अवसंरचना जैसे कोल्ड स्टोरेज इकाइयों और रेफ्रिजरेटेड वैन आदि, और सामुदायिक खेती की परिसंपत्तियों के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश हेतु मध्यम से लंबी अवधि की ऋण वित्तपोषण सुविधाएं प्रदान करना।

(ख) प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाय): इसका उद्देश्य खेत से लेकर खुदरा बिक्री केंद्र तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना का निर्माण करना है, जिसमें एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्यवर्धन अवसंरचना की स्थापना शामिल है।

(ग) पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम (पीएमएफएमई) स्कीम: स्थानीय स्तर पर होने वाले नुकसान को कम करने के लिए सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की क्षमता निर्माण और औपचारिकता का समर्थन करना।

(छ): भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने "सेव फ़ूड शेयर फ़ूड" नामक एक सामाजिक पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य खाद्य उद्योग और कैटरर्स में भोजन की बर्बादी को रोकने के लिए अतिरिक्त भोजन के दान को बढ़ावा देना है। एफएसएसएआई ने इस पहल से जुड़ी जानकारी के लिए www.sharefood.fssai.gov.in वेबसाइट तैयार की है। यह वेबसाइट भोजन की बर्बादी को रोकने के नेटवर्क से संबंधित जानकारी प्रदान करती है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पहल 'मिशन एलआईएफई' पर्यावरण के अनुकूल जीवनशैली अपनाने की दिशा में व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा देती है। टिकाऊ उपभोग और भोजन की बर्बादी को कम करना पहल के महत्वपूर्ण घटक हैं।
